सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –14.06.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 958/2023 (वाद संख्या – 11/2024) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना लाल पुत्र मनोज उर्फ लालू निवासी ग्राम जुगराजपुरा थाना रेंढर जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी/एनडीपीएस कोर्ट, उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बिताई गई अवधि एवं 4000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 902/2017 (वाद संख्या – 17/2017) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. अभिलाष उर्फ छुन्नू पुत्र दशरथ नि0 ग्राम बंगरा थाना माधौगढ जनपद जालौन 2. उवैश पुत्र पापूखाँ नि0 नया पटेलनगर थाना उरई जनपद जालौन 3. अमित सोनी पुत्र सत्यप्रकाश नि0 रामनगर थाना उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे / एफटीसी / सीएडब्ल्यू / जीएसटी कोर्ट, उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।